10/2/26. पत्रा. पेश।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।
प्रार्थना पत्र S. 251-A वादी द्वारा 28/3/24 को दर्ज किया गया।
वादी व प्रतिवादी का पक्ष पेश है। TDR रिपोर्ट संलग्न है।
वादी का कथन है कि उसकी ज़मीन (खसरा No. 672, 961/672, 962/672, 960/672) में पहुँचने के लिए खसरा No. 666 में से रास्ता चाहिए जिससे वह अपनी कृषि भूमि तक पहुँच सके।
धारा 251-A में यह स्पष्ट निर्देश है कि

i) necessity is absolute necessity, not for mere convenience.

ii) in case of a new way through another Khatedar's holding, absence of alternative

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	means of access is proved.	

TDR रिपोर्ट (20/01/2025) को पेश का अवलोकन किया गया।

TDR की रिपोर्ट व नज़री नक्शा में वादी को अपनी ज़मीन पर पहुँचने के लिए दो रास्ते दर्शित किए गए हैं जो कि खुला हुआ है। एक रास्ता 1052/664 चारागाह से होते हुए ग्राम हुडनिया व निमाना की काकड़ है से होते हुए चालू है।

दूसरा रास्ता खसरा 910/675 की उत्तरी मेंड़ से होते हुए, 893/674 की उत्तरी मेड़, खसरा न. 670 की मेड़, खसरा न. 671 की कच्ची गडार से होते हुए वादी की ज़मीन पर पहुँचा जा सकता है जो मौका रिपोर्ट पर स्पष्ट लिखा हुआ है।

उक्त रिपोर्ट प्रार्थी व अप्रार्थी की उपस्थिति में बनाई गई है व उनके रिपोर्ट पर हस्ताक्षर भी हैं।

ऐसी स्थिति में Section 251-A की necessary condition - absence of alternative means meet नहीं हो रही।

वादी के पास दो अतिरिक्त रास्ते हैं जिससे वह अपने खेत पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पहुँच सकता है। अत: यह न्यायलय इस निर्णय पर पहुँचता है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे द्वारा 1/2/26 को सुनाया गया। कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.) Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	